Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में सहायक लेखाधिकारी 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *20 जुलाई, बुधवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, कार्यालय उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को परिवादी से 5 **हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के रिश्तेदार की पेंशन कागजात बनाने की एवज में दिनेश कुमार सोनी सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, कार्यालय उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर द्वारा **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** एवं टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुए दिनेश कुमार सोनी पुत्र श्री अमरचन्द सोनी निवासी प्लॉट नं0 123, आदिनाथ नगर, पीपली चौक के पास, पालरोड़, जोधपुर हाल सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, कार्यालय उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को परिवादी से 5 **हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।